

33-2 A 20-2-96 (25)

संख्या- 610/15-7-161281/95.

प्रबन्ध,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

तथा मे,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 तयदाय केन्द्र,
प्रोविन्स बिहार, नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुमान

तख्तक: दिनांक: 20 फरवरी, 1996-

विषय:- महरिषि विद्या मंदिर बरेली को सी०बी०एस्कोई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

संदेह,

उपर्युक्त विषय पर मुझे बड़ बड़ने का निदेश हुआ है कि महरिषि विद्या मंदिर
बरेली को सी०बी०एस्कोई नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार
को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है ।

- 111- विद्यालय की पंजीकृत सीताइटी का सम्यक् सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा मासिक एक सदस्य होना ।
- 131- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित समाज के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उक्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न धाराओं के लिए निर्धारित कुल से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बिना शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्डिंग फार दि इंस्ट्रुक्शन रूल तटीफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परियोजना से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

--2/-

Sunil
PRINCIPAL
Maharishi Vidya Mandir Sr. Sec. Sch. XII
BAREILLY
Affiliation No. 2130686

P. Maude
Principal
Maharishi Vidya Mandir
Bareilly
Affiliated to C.B.S.E.
2130

- 151- संस्था शिक्षक एवं शिक्षार्थ कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों के सम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161- कर्मचारियों की सेवा हॉट बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त उच्चतरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूच्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181- विद्यालय का रिकार्ड नियंत्रित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- 191- उक्त क्लॉ में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्करण नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि दिनांक 15-11-95 के सम्बन्धानुसार विद्यालय द्वारा निजी भूमि हेतु कुछ ही गड्ढ भूमि पर मानकानुसंग विद्यालय भवन पाँच वर्ष के अन्दर पूर्णतया निर्मित करवा लिया जायेगा और इसकी सूचना शासन को दी जायेगी ।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तन्म यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में ज़िती प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

मिहोस

13 गोक गाँधी ।
संयुक्त तयिय ।

पुठ संख्या- 610111/15-8-161281/95, तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, मडनऊ
- 2- मध्यमिय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।
- 4- निरीक्षक, अंगूठ भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, मडनऊ ।
- 5- प्रधानक, महर्षि विद्या मंदिर, बरेली ।

आशा है,
13 गोक गाँधी ।
संयुक्त तयिय ।

Singh
PRINCIPAL
Maharishi Vidya Mandir Sr. Sec. School
BAREILLY
Affiliation No. 2130686

R. Dey
Principal
Maharishi Vidya Mandir
Affiliated to C.B.S.E.
2130